Continuation Note Sheet

.2025

पैरोकार राज उपस्थित। वकील श्री सतविन्द्र सिंह चहल द्वारा अप्रार्थीया नीलम फुटेला की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र 177 आर.टी.ए. पेश किया गया एवम् प्रकरण में आज की तारीख में बहस सुन कर प्रकरण का निर्णय किये जाने का निवेदन किया गया। वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत धारा 177 आर.टी.ए. में वर्णित रकबा को अप्रार्थीया द्वारा नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर के आदेश कमांक **LU2012/SGN/2024-25/101053** दिनांक 06.08.2024 के द्वारा व्यावसायिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया जा चुका है। जिसकी प्रति जवाब प्रार्थना पत्र के संलग्न है। प्रार्थीया के विरूद्ध धारा 177 आर. टी.ए. का प्रार्थना पत्र दाखिल दफ्तर किया जावे।

वकील अप्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र 177 आर.टी.ए. का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर के आदेश कमांक **LU2012/SGN/2024-25/101053** दिनांक 06.08.2024 का अवलोकन किया गया। धारा 177 आर.टी.ए. में वर्णित रकबा को नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर के आदेश कमांक **LU2012/SGN/2024-25/101053** दिनांक 06.08.2024 द्वारा संपरिवर्तित किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 177 आर.टी.ए. में वर्णित रकबा का संपरिवर्तन हो जाने से प्रार्थना पत्र 177 आर.टी.ए. इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार रहे।

आदेश आज दिनांक 17.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner